मेरठ विकास प्राधिकरण

की

112वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 23—02—2019 का कार्यवृत्त

विकास प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बैठक दिनांक 23–02–2019 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 112वीं बैठक सभागार–मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ/अध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 23–02–2019 को सम्पन्न हुई। सर्वप्रथम सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष महोदया तथा सभी उपस्थित मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में सचिव एवं निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय	उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष।
2.	श्री अनिल ढींगरा,	जिलाधिकारी, मेरठ।	सदस्य।
3.	श्री उदयी राम,	अपर निदेशक उद्योग, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।	सदस्य।
4.	श्री मनोज कुमार चौहान,	नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।	सदस्य।
5.	श्री काली विभूति शुक्ला,	सहयुक्त नियोजक, मेरठ मण्डल, मेरठ प्रतिनिधि–मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ मुख्यालय, लखनऊ।	सदस्य।
6.	श्री अतुल कुमार सिंह,	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, मेरठ प्रतिनिधि–विशेष सचिव, वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग–8, लखनऊ।	सदस्य।
7.	श्री अरविन्द कुमार,	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–6, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, शास्त्रीनगर, मेरठ प्रतिनिधि–आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।	सदस्य।
8.	श्री जे0के0गुप्ता,	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय, मेरठ।	सदस्य।
9.	श्री रमेश चन्द,	अधिशासी अभियन्ता, प्रथम मण्डल, उ0प्रदेश जल निगम, मेरठ।	सदस्य।

10.	श्रीमती अर्चना शर्मा,	एसोसियेट प्लानर, प्रतिनिधि आयुक्त, एन0सी0आर0, गाजियाबाद।	सदस्य।
11.	श्री राज कुमार,	सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।	संयोजक / सदस्य।

111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12--09--2018 के कार्यवृत्त की पुष्टि--

माननीय बोर्ड द्वारा दिनांक 12--09--2018 को सम्पन्न 111वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07--12--2016 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन--

मद सं0	प्रकरण	प्रस्तुत अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
15	शताब्दीनगर आवासीय योजना सैक्टर--2 मे निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास के निर्माण कार्य को उसकी लागत, भविष्य मे होने वाले सम्भावित रखरखाव पर होने वाले अत्याधिक व्यय एवं वर्तमान मे निर्माणाधीन भवन की उपयोगिता आदि को दृष्टिगत रखते हुए निर्माणाधीन कार्य को इसी स्तर पर रोकने एवं	शताब्दीनगर योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन उपाध्यक्ष आवास को **प्राधिकरण बोर्ड की 108वी. बोर्ड बैठक दिनांक 07.12.16** के अन्तर्गत यथास्थिति में रोकने एवं निर्माणाधीन भवन का कालान्तर में यथा उपयोग करने / नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की **110वी. बोर्ड बैठक में दिये गये निर्देश के अनुपालन में दिनांक 12.03.18** को निविदा--सह--नीलामी के माध्यम से निर्माणाधीन भवन का निस्तारण कराये जाने का प्रयास किया गया, परंतु इस हेतु कोई आवेदन प्राप्त नही हो सका। **बोर्ड की 111वी. बैठक दिनांक 12.09.18** के अन्तर्गत समिति स्थल निरीक्षण करके इस आवास के वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में सुझाव / आख्या दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि व्यापक प्रचार--प्रसार कराकर इस सम्पत्ति का विधि सम्मत निस्तारण किया जाय।

	निर्माणाधीन भवन का कालान्तर मे यथा–उपयोग करने/नीलामी द्वारा विक्रय करने के सम्बन्ध में।	वर्तमान में निर्माण कार्य यथा स्थिति में बंद करा दिये जाने के कारण भवन खंडर में तब्दील हो जाने की प्रबल संभावना है। प्रश्नगत परिसर का वर्तमान में विक्रय मूल्य रू. 10.97 करोड आंकलित है। अध्यक्ष महोदय के निरीक्षण के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा यथास्थिति में इसके निस्तारण हेतु एक बार पुनः नीलामी हेतु ऑफर आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं बैंक आदि को प्राधिकरण स्तर से इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया है कि यदि उनको विभागीय उपयोग हेतु भवन की आवश्यकता हो, तो अपना ऑफर प्राधिकरण को उपलब्ध करा दें, ताकि इस पर निर्णय लेते हुए प्रश्नगत परिसर का निस्तारण कराया जा सके। ऑफर प्राप्त न होने की दशा में पुनः इसके वैकल्पिक उपयोग के सम्बन्ध में प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्तानुसार बोर्ड के समक्ष अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।	

प्राधिकरण की 108वीं बोर्ड बैठक दिनांक 07–12–2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत किये गये में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

1.	प्राधिकरण बोर्ड सदस्य श्री परमिन्दर इशू द्वारा	मा0 बोर्ड द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में प्राधिकरण की योजनाओं में निर्मित एस0टी0पी0 पर यू0वी0 सिस्टम	संयुक्त निरीक्षण पृथक से कराकर अनुपालन कर दिया

	प्राधिकरण योजनाओं की एस0टी0पी0 बन्द रहने का तथ्य संज्ञान में लाया गया जिस पर बोर्ड द्वारा निर्देश दिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड के नामित/गैर सरकारी सदस्यों के साथ प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत सभी एस0टी0पी0 का संयुक्त निरीक्षण करा दिया जाय।	को स्थापित कर वाटर रिसाईकलिंग करने हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का तकनीकी एवं पर्यावरण की दृष्टि से परीक्षण हेतु गठित समिति की दिनांक 06–12–2018 को बैठक की गयी। बैठक में नगर निगम के सदस्य के अतिरिक्त सभी सदस्य उपस्थित थे। उपस्थित समिति के सदस्यों ने जल निगम द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 का अवलोकन कर निम्न अभिमत दिया गया। परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि पल्लवपुरम योजना फेस–2 के अन्तर्गत निर्मित एस0टी0पी0 में यू0वी0 सिस्टम स्थापित करने हेतु प्रस्तुत परियोजना की कुल लागत जी0एस0टी0 एवं अन्य मदों सहित रू0 526.08 लाख है। परियोजना प्रबन्धक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्राधिकरण द्वारा अपनी योजनाओं में जो भी एस0टी0पी0 निर्मित किये गये हैं उसकी क्षमता के अनुसार अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है तथा **प्राधिकरण द्वारा इनके रखरखाव एवं संचालन पर अनावश्यक रूप से अतिरिक्त व्यय किया जा रहा है जबकि आसपास के क्षेत्रों के सीवर के ट्रीटमेंट हेतु नगर निगम उक्त एस0टी0पी0 का प्रयोग कर सकता है। प्राधिकरण द्वारा निर्मित एस0टी0पी0 को रखरखाव/संचालन हेतु अन्तिम रूप से नगर निगम, मेरठ को हस्तान्तरित किया जाना है।** अतः समिति द्वारा यह	गया। आख्या अवलोकित की गयी तथा प्राधिकरण की योजनाओं को हस्तान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में योजनाओं के निरीक्षण का चार्ट तैयार करके नगर निगम के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कराकर प्राधिकरण की योजनाओं के हस्तान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये। अग्रिम बोर्ड बैठक में रखने की आवश्यकता नही है।

		प्रस्ताव रखा गया है कि **यदि नगर निगम अपने अधीन करके इससे आस–पास के क्षेत्रों के सीवर लाइन को जोड़ कर उक्त एस0टी0पी0 से ट्रीटमेंट किया जाता है तो सम्बन्धित एस0टी0पी0 पूर्ण क्षमता से चल सकते हैं। नगर निगम को इसके उपयोग से अतिरिक्त एस0टी0पी0 का निर्माण नहीं करना पड़ेगा तथा इसके निर्माण के लिये अतिरिक्त भूमि की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।** केवल उन्हें रखरखाव एवं संचालन पर ही व्यय करना पड़ेगा। सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट पर यू0वी0 सिस्टम लगाया जाना जनहित में उपयोगी है।	

109वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–07–2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषयक	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
02	मै0 एम0एल0 एग्रीटैक द्वारा श्रीमती नीना गर्ग एवं श्री पंकज गर्ग, ग्राम बटजेवरा, सरधना रोड़, जिला मेरठ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में **आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर मानचित्र निर्गत कर दिया गया।** बाह्य विकास शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के पत्र संख्या–611/मान0अनु0/जोन बी दि0–24.03.18, अनुस्मारक पत्रांक 1201/मान0 अनु0/जोन बी दिनांक 21.05.18 एवं पत्रांक 165/एटीपी/2018 दिनांक 26.05.18, पत्रांक 1223/मान0 अनु0/जोन बी दि0–04.07.2018 को शासन को पत्र प्रेषित किये गये, जिसके क्रम में **शासन**	बोर्ड द्वारा निर्देश दिये गये चूँकि निर्माणकर्ता ने तत्समय यह अण्डरटेकिंग कि विकास शुल्क के मद में जो भी निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा वह उन्हें मान्य होगा। शासन द्वारा निर्णय लिया जा चुका है। निर्माणकर्ता ने धनराशि जमा नहीं की है,

		द्वारा पत्र संख्या–1710/8–3–2018 दिनांक 05.11.2018 के माध्यम से वाह्य विकास शुल्क लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। शासन के निर्देश के क्रम में वांछित धनराशि जमा किये जाने हेतु आवेदक को पत्रांक 736/मान0अनु0/जोन बी/18 दिनांक 27.11.2018 प्रेषित किया गया। आवेदक द्वारा वांछित धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नही करायी गयी, जिसके क्रम में वांछित धनराशि रू0–40,53,019.00 की वसूली भू–राजस्व के बकाये के रूप में किये जाने हेतु जिलाधिकारी को पत्रांक 1199/मान0अनु0/जोन–बी दिनांक 05.01.2019 प्रेषित किया गया। आवेदक को भी वा0वि0शुल्क जमा कराने हेतु पत्र भेजे गये परन्तु आज तक विकासकर्ता द्वारा शुल्क जमा नही कराया गया।	अतः मानचित्र का निरस्तीकरण करते हुए अधिनियम के अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्माण को तत्काल सील किया जाये।
06	मैसर्स प्रसन्दी स्किल्ड टैक प्रा0लि0 द्वारा श्री विजय पाल यादव एन0एच0–58 स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में सी0एन0जी0 पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में आवेदक से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर मानचित्र निर्गत कर दिया गया। प्रभाव शुल्क हेतु पत्रांक 1035/मान0अनु0 दि0–01.11.17 व अनुस्मारक पत्रांक 291/18/ मान0अनु0 जोन–बी दि0–22.02.18 को शासन को प्रेषित किये गये है, जिसके क्रम में शासन द्वारा सुनवाई करते हुए पत्रांक 1669(1)/8–3–18–43 विविध/2018 दिनांक 20.11.2018 के माध्यम से प्रभाव शुल्क की दर के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर विकास प्राधिकरण	बोर्ड द्वारा अनुपालन आख्या अवलोकित कर जिलाधिकारी से समन्वय कर प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

		जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित कर दर तय किये जाने हेतु दिशा–निर्देश दिये गये। शासन के उक्त दिशा–निर्देश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रश्नगत प्रकरण में सर्किल रेट निर्धारित किये जाने हेतु पत्र 1081/मान0 अनु0/जोन बी दिनांक 28.12.2018 निर्गत किया गया, जो अभी अप्राप्त है।	

110वीं बोर्ड बैठक दिनांक 15–02–2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषयक	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
11	मेरठ के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्रस्ताव शासन को दिनांक 28–09–2018, 16–11–2018 एवं 28–12–2018 के माध्यम से अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है, जिस पर **शासन द्वारा अद्यतन् कोई भी अनुमोदन/निर्देश प्रदान नहीं किये गये है।**	बोर्ड द्वारा शासन के निर्देश की प्रतीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमति से प्रस्तुत अनुपूरक प्रस्ताव का अनुपालन–

अनुपूरक मद	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
01	माननीय न्यायालय आयुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा पारित आदेश	आवेदक द्वारा मा0 आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा यह निर्देश दिये गये

	दिनांकः 25.10.2017 के क्रम में मैसर्स अलफहीम मीटैक्स प्रा0लि0, हापुड रोड, मेरठ की भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	25–10–2017 का अनुपालन नहीं किया गया है जिस कारण उक्त मीट प्लांट दिनांक 12–02–2019 को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत सील कर दिया गया है।	कि यदि आवेदनकर्ता का कोई प्रत्यावेदन अनिस्तारित हो तो उसको तत्काल निस्तारित कर दें।
02	सुपरटैक स्पोर्ट्स सिटी के संशोधित डी.पी.आर. की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के आदेश के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क जमा कराये जाने हेतु आवेदक को पत्रांक 249 दि0–17.05.18 सूचित किया गया, जिसके क्रम में आवेदक द्वारा यह अवगत कराया गया कि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप के 7.81 एकड भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। **शासन द्वारा जो निर्णय लिया जायेगा वह उनको मान्य होगा। शासन द्वारा प्रकरण में अनेकों सुनवाई की गयी, परन्तु अद्यतन तक प्रकरण पर कोई भी निर्णय प्राधिकरण को प्राप्त नही है। साथ ही उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इनका मानचित्र दिनांक 31.08.18 को निरस्त कर दिया गया**, जिसके क्रम में विकासकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **पर शासन द्वारा सुनवाई करते हुए**	सुपरटैक का मानचित्र निरस्त है। शासन से निस्तारण होने के उपरान्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाय।

		तीन माह के अन्दर निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में **दिनांक 11.02.2019 को शासन में प्रकरण में सुनवाई की गयी।**	

111वीं बोर्ड बैठक दिनांक 12–09–2018 में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुपालन–

मद सं0	विषय	अनुपालन आख्या	बोर्ड द्वारा प्रदत्त निर्देश
01	वित्तीय वर्ष 2017–18 का वास्तविक एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 का अनुमोदित आय–व्ययक।	मा0 बोर्ड के निर्णय का अनुपालन कर लिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
03	रक्षापुरम योजना के सेक्टर 4 में 90 वर्ष के रूपये 100/– प्रति माह (रूपये 1200/– वार्षिक) के लीज/किराये पर सामुदायिक क्रिया–कलापों हेतु मेरठ स्टेडियम क्लब को आवंटित 1255 वर्ग मीटर के सापेक्ष देय ब्याज की धनराशि में छूट किये जाने विषयक प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड बोर्ड द्वारा पारित निर्णय से मेरठ स्टेडियम क्लब द्वारा अवगत होकर देय धनराशि अंकन 82,000/– दिनांक 21–09–2018 में जमा कर दी गयी है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
05	प्राधिकरण में पाँच निष्प्रोज्य वाहनों	मा0 बोर्ड की स्वीकृति के क्रम में नजारत	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	के सापेक्ष विभागीय उपयोग हेतु एक इनोवा एंव तीन बुलैरों वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुभाग द्वारा विभागीय उपयोग हेतु जैम पोर्टल के माध्यम से एक इनोवा एवं तीन बुलैरो वाहनों को क्रय कर लिया गया है। मा0 बोर्ड द्वारा स्वीकृत अनुमानित धनराशि रूपये 42.00 लाख के सापेक्ष एक इनोवा की कीमत रूपये 13,46,310/- का मै0 टोएटा किर्लोस्कर मोटर प्रा0लि0 को, तीन बुलेरों हेतु रूपये 21,24,044/- का मैसर्स महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को भुगतान किया गया तथा इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन, बीमा व साज सज्जा आदि में रूपये 2,21,600/- सहित कुल धनराशि रूपये 36,91,954/- का व्यय हुआ है।	
06	मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह "ग" एवं "घ" के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक विभाग-2 लखनऊ की अधिसूचना संख्या 9/2016/2/1/97/ का-2/2016 दिनांक 12	मा0 बोर्ड के निर्देश/आदेश के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण में अकेन्द्रीयित सेवा के समूह-'ग' एवं 'घ' के पदों पर दैनिक वेतन या वर्कचार्ज संविदा पर कार्य कर रहे व्यक्तियों के विनियमितीकरण हेतु प्रश्नगत विनियमितीकरण नियमावली, 2016 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अपनायी गयी प्रक्रिया/कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु इस	बोर्ड द्वारा 111वीं बोर्ड के अनुपालन मद सं0 06 के अनुसार अन्य विकास प्राधिकरणों से स्थिति ज्ञात करते हुए कार्मिक विभाग के शासनादेशों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का सम्यक परीक्षण कर प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

	सितम्बर, 2016 के द्वारा प्रख्यापित विनियमितीकरण नियमावली–2016 को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव।	कार्यालय के पत्रांक 292 / एक–अधि0 / 2018 दिनांक 28–09–18 द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण, 293 / एक–अधि0 / 2018 दिनांक 28–09–18 द्वारा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, 294 / एक–अधि0 / 2018 दिनांक 28–09–18 द्वारा कानपुर विकास प्राधिकरण, 295 / एक–अधि0 / 2018 दिनांक 28–09–18 द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण, 296 / एक–अधि0 / 2018 दिनांक 28–09–18 द्वारा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 297 / एक–अधि0 / 2018 दिनांक 28–09–18 द्वारा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में मात्र लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्रांक 1495 / सा0प्रा0 / 18 दिनांक 25–10–18 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में अपनायी गयी प्रक्रिया / कार्यवाही के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में तद् विषयक प्रस्ताव व कार्यवृत्त की छाया प्रति उपलब्ध करायी गयी हैं, जो संलग्न	

		कर प्रेषित है।	
07	श्री आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव, अवर अभियन्ता के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्देश/आदेश के अनुपालन में श्री आनन्द स्वरूप, अवर अभियन्ता को बैंकर चैक द्वारा अंकन रू0 2,50,025/- (दो लाख पचास हजार पच्चीस रूपये मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
08	सबसिडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के पक्ष में गंगानगर योजना के पॉकेट सीपी में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 CP/C-2 क्षेत्रफल 4531.32 वर्ग मीटर का आफिस-कम आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटन का प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में सबसिडियरी इन्टेलीजेन्स ब्यूरो को गंगा नगर योजना के पॉकेट सीपी में स्थित व्यवसायिक भूखण्ड सं0 CP/C-2 क्षेत्रफल 4531.32 वर्ग मीटर के सापेक्ष 06 माह की अवधि में जमा की जाने वाली कुल आंकलित धनराशि रूपये **37,72,32,726/- का माँग पत्र सं0 1407-I/बल्कसेल/18-19 दिनांकित 27-09-2018 प्रेषित कर दिया गया है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित।
09	पल्लवपुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम मुकर्रबपुर पल्हैडा, मोदीपुरम, मेरठ कि खसरा नं0 328 की अधिगृहीत भूमि के अवैध काबिजदार श्री कमालुद्दीन पुत्र अब्दुल रज्जाक के पक्ष में	माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में आवेदक को प्रस्ताव के अस्वीकृति की सूचना पत्र सं0 1480-I दिनांकित 03-10-2018 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	विस्थापित श्रेणी के अन्तर्गत प्लाट दिये जाने के सम्बन्ध में।		
10	गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में पुलिस थाना की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित की गयी 2782.12 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का पॉकेट एन में स्थित हैल्थ सेन्टर हेतु आरक्षित 2759.80 वर्ग मी0 में समायोजन का प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड के निर्देशानुपालन में अपर जिलाधिकारी (नगर), पुलिस उपाधीक्षक (नगर) व सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण उपरान्त मा0 अध्यक्ष महोदय से प्राप्त अनुमति उपरान्त प्रस्ताव, **परिचालन पद्धति से माननीय बोर्ड से दिनांक 21–12–2018 को अनुमोदित है।** उपरोक्त निर्णय के क्रम में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु पत्रांक 175-II दिनांक 28–12–2018 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जा चुका है। **परिचालन पद्धति से अनुमोदित उक्त प्रस्ताव माननीय बोर्ड के अवलोकनार्थ एवं निर्णय की पुष्टि हेतु मद सं0 09 पर प्रस्तुत है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित करते हुए मद सं0 09 (बोर्ड बैठक–112) के अनुसार परिचालन प्रस्ताव की पुष्टि की गई।
11	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजना के अन्तर्गत पार्कों के विकास एवं हैवी कार्य करने हेतु 01 नग हेवी ट्रेक्टर व अन्य आवश्यक उद्यानीकरण यन्त्रों–ब्रूमर	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में एक ट्रेक्टर "महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा" कम्पनी को जैम पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24–01–2019 को क्रय करने हेतु आर्डर प्लेस किया गया है। ट्रेक्टर की आपूर्ति	अनुपालन आख्या अवलोकित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि एक माह में मशीन क्रय करने की नियमसंगत कार्यवाही की जाय।

	(सड़क सफाई मशीन), Falcon कम्पनी का grass cutter आदि क्रय करने हेतु प्रस्ताव।	कम्पनी द्वारा प्राधिकरण को अभी नहीं की गयी है। उद्यानीकरण के शेष यन्त्रों के क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।	
12	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त गैर आवासीय सम्पत्तियों का "E-AUCTION" पद्धति से निस्तारण हेतु प्रस्ताव।	माननीय बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में अवगत कराना है कि मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा एन0आई0सी0 मेरठ व एन0आई0सी0 के लखनऊ स्थित हैड ऑफिस को पत्र प्रेषित किये तथा एन0आई0सी0 के निर्देशानुसार एन0आई0सी0 के दिल्ली स्थित मुख्यालय से सम्पर्क किया। इस सम्बन्ध में एन0आई0सी0 कार्यालय से प्राप्त ई–मेल पत्रों का बन्च मा0 बोर्ड के समक्ष अवलोकनीय प्रस्तुत है। एन0आई0सी0 द्वारा प्राधिकरण की रिक्त सम्पत्तियों की नीलामी का प्रोग्राम अभी तैयार न हो पाने के कारण ''ई–ऑक्शन'' नहीं हो पा रहा है जो न ही शासन द्वारा ''ई–ऑक्शन'' द्वारा सम्पत्ति के विक्रय से सम्बन्धित दिशा निर्देश निर्गत हुए है। प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरण से भी दूरभाष पर सम्पर्क किया गया। अवगत कराना है कि कानपुर विकास	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, निर्देश दिये गये कि कार्यवाही किये जाने से पूर्व कानपुर विकास प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरणों द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया का अध्ययन करा लिया जाये।

		प्राधिकरण तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा रिक्त सम्पत्तियों की ''ई–ऑक्शन'' प्राईवेट बैक के माध्यम से करायी जा रही है कानपुर विकास प्राधिकरण की भांति ही एक्सिस बैंक, मेरठ द्वारा ''सी–1 इण्डिया'' कम्पनी से ''ई–ऑक्शन'' का प्रोग्राम तैयार है। अतः एन0आई0सी0 द्वारा ''ई–ऑक्शन'' का प्रोग्राम तैयार होने तक एक्सिस बैंक के माध्यम से ''ई–ऑक्शन'' कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत है।	
3	श्री ओमपाल सिंह पुत्र श्री मोहर सिंह, श्री सतपाल सिंह पुत्र श्री भगवान दास, श्री सचिन गौतम पुत्र श्री सतपाल गौतम आदि द्वारा ग्राम–रामपुर पावटी, बागपत रोड, मेरठ के भूखण्ड संख्या: 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86 व 87 तथा खसरा संख्या: 253/1 कुल क्षेत्रफल 468.93 वर्ग मी0 पर	मा0 बोर्ड के निर्णय के अनुपालन में मानचित्र स्वीकृत किया जा चुका है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में 'पेट्रोल पम्प' स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।		
14	मैसर्स एच0एल0बी0 बिल्ड टैक प्रा0लि0 के डायरेक्टर श्री विजय बंसल व अन्य द्वारा एन0एच0–58 ग्राम–जटौली, दिल्ली रूडकी बाई पास रोड, मेरठ पर स्थित ग्रीन वर्ज क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के आदेश के अनुपालन में मानचित्र दिनांक 15–10–2018 को प्रभाव शुल्क की गणना करते हुए नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
15	राजस्व ग्राम–हसनपुर कदीम के खसरा संख्याः 148 एवं ग्राम–मुरलीपुर फूल के खसरा संख्याः 81/4 के भू–भाग 13051.70 वर्ग मी0 पर मैसर्स ईमोशन रिसोर्ट इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित होटल कम रिसोर्ट के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के आदेश के अनुपालन में मैसर्स इमोशन रिसोर्ट इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित मानचित्र दिनांक 15–12–2018 को स्वीकृत कर दिया गया। आवेदनकर्ता पर्यटन विभाग में दिनांक 12–09–2018 से पंजीकृत है। पंजीकरण प्रमाण पत्र सं0 60/2018 आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
16	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कराये जाने हेतु बराल परतापुर के खसरा सं0	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया, जिस पर **शासन द्वारा**	अनुपालन आख्या अवलोकित।

	16, 19, 22/2, 23/1 व 25 के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।	भू–उपयोग परिवर्तन कर अधिसूचना सं0 1811/आठ–8–18–79 एल.यू.सी./18 लाखनऊ दिनांक 06–12–2018 जारी की गयी है, जिसके क्रम में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	
17	उ0प्र0 शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में अंगीकृत किये गये शासनादेशों के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।	अनुपालन आख्या अवलोकित।
18	मेरठ के विस्तारित क्षेत्र के अन्तर्गत भवन मानचित्र की स्वीकृति की प्रक्रिया के नीति निर्धारण के सम्बन्ध में।	मा0 बोर्ड के निर्णय के क्रम में प्रस्ताव शासन को दिनांक 28–09–2018, 16–11–2018 एवं 28–12–2018 के माध्यम से अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा चुका है, **जिस पर शासन द्वारा अद्यतन् कोई भी अनुमोदन/निर्देश प्रदान नहीं किये गये है।**	अनुपालन आख्या अवलोकित की गयी तथा शासन के निर्देश की प्रतीक्षा करने के निर्देश दिये गये।

112वीं बोर्ड बैठक दिनांक 23–02–2019 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

मद सं0	विषय	निर्णय
01	वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्ययक।	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 का पुनरीक्षित एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 का प्रस्तावित आय–व्ययक अनुमोदित किया गया।

02	मेरठ विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलेंस शीट के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण की वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलेंस शीट अनुमोदित की गयी।
03	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में रिक्त फ्लैटस्/भवन/विलॉज की दिनांक 31–03–2018 को लागू कीमतें रियल एस्टेट में चल रही आर्थिक मंदी के फलस्वरूप विक्रय न होने के कारण दिनांक 31–03–2020 तक फ्रीज़ किये जाने हेतु प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा 31–03–2020 तक कीमतें फ्रीज करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
04	गंगानगर योजना के पॉकेट ओ में पुलिस थाना की स्थापना हेतु निशुल्क आवंटित की गयी 2782.12 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन का पॉकेट एन में स्थित हैल्थ सेन्टर हेतु आरक्षित 2759.80 वर्ग मी0 में समायोजन के सम्बन्ध में परिचालन पद्धति से अनुमोदित प्रस्ताव के अवलोकनार्थ एवं निर्णय की पुष्टि हेतु प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा परिचालन पद्धति से प्रस्ताव पर पारित निर्णय की पुष्टि की गयी।
05	मेरठ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में अनुरक्षण शुल्क एकमुश्त भुगतान किये जाने की योजना लागू करने के सम्बन्ध	बोर्ड द्वारा चर्चा उपरान्त यह निर्देश दिये गये कि बिन्दु संख्या–01 बकाया धनराशि एक मुश्त जमा किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में 108वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार अनुरक्षण शुल्क की बकाया धनराशि एक

	में।	मुश्त जमा किये जाने की समयावधि दिनांक 31–08–2019 तक बढ़ा दी जाये एवं बिन्दु संख्या–02 (ब्याज दर भविष्य में कम करने के सम्बन्ध में) के संबंध में पुनः परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।
06	श्री विजय जैन व श्री अरविन्द जैन द्वारा खसरा सं0 710/2, 715 ग्राम बराल परतापुर, मेरठ पर एम्यूजमेन्ट व वॉटर पार्क के शमन मानचित्र का प्रस्ताव।	आर.आर.टी.एस. एलाईन्मेन्ट के साथ सबसिडियरी सर्विसेस के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर परीक्षणोंपरान्त पुनः प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।
07	मै0 रिचा हैण्डीफैब्स प्रा0 लि0 द्वारा श्री राहुल सिंह पुत्र श्री पवन कुमार सिंह, निवासी–ग्राम कमालपुर, मेन गढ़ रोड़, मेरठ द्वारा खसरा संख्या–397, 398 ग्राम कमालपुर, गढ़ रोड़, मेरठ के कुल क्षेत्रफल 2882.50 वर्ग मी0 रोड़ वाईडनिंग क्षेत्रफल 1012.58 वर्ग मी0 छोड़ते हुए नेट भूखण्ड़ क्षेत्रफल 1869.92 वर्ग मी0 पर ग्रीन वर्ज भू–उपयोग में 'सी.एन.जी. स्टेशन' की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
08	भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक: 15. 11.2016 द्वारा प्रख्यापित भारतीय तार मार्ग के अधिकार नियम 2016 को उत्तर प्रदेश में अंगीकृत किये जाने हेतु आवास	बोर्ड द्वारा शासनादेशों को अंगीकृत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 1646/8–3– 18–34 विविध/18 दिनांक: 05.10.2018 तथा उ0प्र0 इनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड (यू.पी.ई.सी.बी. सी.कोड) 2018 की अधिसूचना के अनुसार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित 2011 एवं 2016) में संशोधन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 55/8–3–19–160 विविध/2018 दिनांक: 28.01.2018 को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	
09	मेरठ विस्तारित विकास क्षेत्र (दौराला क्षेत्र) की महायोजना–2021 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रकरण पर चर्चा हुई जिसमें शासन द्वारा दौराला महायोजना में रूड़की मार्ग के दोनों तरफ 60–60 मी0 ग्रीन वर्ज को लगाते हुए सशर्त अनुमोदित महायोजना में किये गये संशोधन के साथ दौराला महायोजना स्वीकृत कर अंतिम स्वीकृति हेतु महायोजना को शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
10	वेद व्यासपुरी योजना में स्थित जोनल पार्क का नाम बदलकर ''क्रान्ति पार्क'' किये जाने एवं उसमें सन् 1857 की क्रान्ति से जुड़े हुए क्रान्तिकारों की मूर्ति स्थापित किये जाने एवं पार्क का	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति देते हुए शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

	सौन्दर्यकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव।	
11	प्राधिकरण में दिनांक 01.01.2016 से लागू सातवे वेतनमान में सेवानिंवृत्ति पाने वाले कार्मिकों को सातवें वेतनमान में सेवानिवृत्ति की दिनांक को देय मूल वेतन के आधार पर पेंशन निर्धारण एवं पेंशन भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों तथा अन्य प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद् में की जा रही कार्यवाही की जानकारी प्राप्त कर प्रकरण का परीक्षण करते हुए सुस्पष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
12	मेरठ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ग्रामीण आबादी भू–उपयोग में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन निषिद्ध क्रिया है, परन्तु आवास बन्धु द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार ग्रामीण आबादी भू–उपयोग में पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन सशर्त अनुमन्य क्रिया है, जिसको गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आगरा विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण की जोनिंग रेगुलेशन में भी सशर्त अनुमन्य किया गया है। अतः आवास बन्धु द्वारा जारी आदर्श जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधान के अनुसार पेट्रोल/डीजल/सी.एन.जी. फिलिंग	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। एन0सी0आर0 के प्रतिनिधि द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि आदर्श जोनिंग रेजुलेशन्स वर्ष 2002–03 में आवास बन्धु द्वारा जारी करायी गयी थी। अधिकांश महायोजनायें आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स के जारी होने के उपरान्त बनायी गयी जिसे विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा शहर की आवश्यकतानुसार, आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में परिवर्तित किया गया जिस पर शासन द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया, साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि महायोजना 2031 के बनाने की कार्यवाही की जा रही है। उचित होगा कि इस प्रकार के आंशिक परिवर्तन महायोजना 2031 बनाते समय किये जाये। एन.सी.आर. प्रतिनिधि के उक्त सुझाव सहित प्रस्ताव विचारार्थ शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

	स्टेशन के सम्बन्ध में मेरठ महायोजना 2021 के जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रस्तावित संशोधन की स्वीकृति प्रदान करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव मांगने एवं शासन को प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।	

मा0 अध्यक्ष महोदया की अनुमति से प्रस्तुत प्रस्ताव पर निर्णय–

अनुपूरक मद सं0	विषय	निर्णय
01	प्राधिकरण कर्मचारियों को मोबाईल भत्ता दिये जाये के सम्बन्ध में प्रस्ताव।	बोर्ड द्वारा प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त प्रकरण पर पुनः परीक्षण कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(राज कुमार) 2/3/19	(राजेश कुमार पाण्डेय)	(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव,	उपाध्यक्ष,	अध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,	मेरठ विकास प्राधिकरण,	मेरठ विकास प्राधिकरण बोर्ड,
मेरठ।	मेरठ।	मेरठ।